निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति :

पीडीआईएल ने कंपनी के व्यवसाय का दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु संशोधित डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरूप वर्ष 2013 में अपनी दीर्घकालिक निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सततता नीति तैयार की । सीएसआर और सततता नीति कंपनी को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सशक्त बनाती है।

सीएसआर नीति के तहत चरणबद्ध प्रयासों के माध्यम से दुर्बल समुदाय की आजीविका और कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वस्थ पर्यावरण तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसकी ऐसी गतिविधियों की पहचान रहा है।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति विवरण:

पीडीआईएल ने निगमित सामाजिक दायित्व को अपने कारोबार के संचालन के रूप में मान्यता दी है एवं इससे कंपनी, नैतिक प्रणालियों तथा सततता प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन व एकीकरण के माध्यम से, अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन व समृद्धि के सृजन व वितरण में सक्षम हो पाई है ।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता नीति का कार्यान्वयन करते समय पीडीआईएल, व्यवसाय प्रचालन व क्रियाकलापों में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक के स्तर के सभी कर्मियों की सक्रिय भागीदारी के प्रति वचनबद्ध रही है ।

पीडीआईएल समुचित प्रबंधन के कार्यान्वयन एवं कार्यक्रमों के अल्पीकरण के माध्यम से जैव-विविधता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, भू उपयोग एवं स्थल का निवारण करने के प्रति प्रतिबद्ध है ताकि कंपनी अपने कारोबारी प्रचालनों के पूरे जीवन काल में पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक एवं सामाजिक -राजनीतिक निरंतरता सुनिश्चित कर सके ।

पीडीआईएल ने अपने प्रचालन स्थलों पर हमेशा मानवाधिकारों की सुरक्षा करने एवं उन्हें बढ़ावा देने के साथ साथ वहां की सांस्कृतिक धरोहर के परंपरागत अधिारों की वकालत की है एवं उनका संवर्धन भी किया है, ताकि अपने निकट पीडीआईएल जैसे संस्थान की उपस्थिति से समाज स्वंय को गौरवान्वित महसूस कर सके ।

पीडीआईएल एक उत्तरदायी कारपोरेट कंपनी के रूप में अपने निगमित सामाजिक दायित्व एवं सततता गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक रिपोर्ट देगी और निरंतर प्रयत्नशील रहेगी ।

निगमित सामाजिक दायित्व का कार्यान्वयन :

सीएसआर नीति में दो स्तरीय समिति के गठन को बताया गया है जैसे कि मंडल स्तरीय समिति और मंडल स्तर से नीचे की सिमति । मंडल स्तरीय समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है और उर्वरक विभाग से एक सरकारी निदेशक (पीडीआईएल के निदेशक मंडल के) एवं निदेशक (वित्त) जोकि पूर्ण रूप से नीति निमार्ण, नीति

कार्यान्वयन एवं सीएसआर एवं सततता देखते हैं, मंडल को कंपनी के सीएसआर एवं सततता उददेश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगें ।

मंडल स्तर से नीचे की समिति की अध्यक्षता एक नोडल अधिकारी द्वारा की जाएगी जो मंडल स्तर के अधिकारियों से एक रैंक कम होगें । इस समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित होगा । पदस्थ नोडल अधिकारी नियमित अवधि पर वित्तीय वर्ष में की गयी परियोजनाओं की रिपोर्ट मंडल स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा । एक समर्पित वरीय अधिकारी कंपनी की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों का कार्यान्वयन करेंगें ।

संबंधित इकाई प्रमुखों की अध्यक्षता में दो इकाई स्तर की समितियां वडोदरा और सिंदरी में गठित की गयी हैं, जो विभिन्न गैर सरकारी संगठन / धर्मार्थ ट्रस्टों से प्राप्त प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच करने के पश्चात मंडल स्तर से नीचे की समिति को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करती हैं। सीएसआर परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन, सतत निगरानी कंपनी के अधिकारिया द्वारा की जाती है और आंकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है ।

कंपनी की सभी सीएसआर गतिविधियों की पुष्टि निदेशक मंडल द्वारा की जाती है । सीएसआर गतिविधियों का संचालन कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता है । इसके अलावा पिछड़े जिले / क्षेत्र के विकास के लिए सीएसआर परियोजनाओं के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। परियोजनाओं के प्रभाव को मापने हेतु बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाता है, जो परियोजनाओं की सफलता को निर्धारित करता है। कार्मिकों की सक्रिय भागीदारी सीएसआर परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करती है। बजट आबंटन अद्यतित डीपीई दिशानिर्देश/ कंपनी अधिनियम के अनुसार किया जाता है ।

कंपनी द्वारा अब तक की गयी परियोजनाओं में वैधानिक आवश्यकताओं से अधिक प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है:

1. आजीविका विकास हेतु शिक्षा एवं कौशल वृद्धि

कंपनी ने दिल्ली और सिंदरी (धनबाद) में कौशल विकास और आजीविका संवर्द्धन के लिए CSR केंद्र की स्थापना की थी, जो बेसिक इंग्लिश भाषा में सुधार सहित बेसिक कंप्यूटर जागरूकता, सिलाई, ब्यूटीशियन और मेहंदी सजावट, फ्रंट रिटेल सेल्स ट्रेनिंग और व्यक्तित्व विकास पर व्यवसायिक कोर्स प्रदान करता था।

कंपनी ने दिल्ली में शिक्षा में लगे ऐसे संस्थानों को संरचनात्मक सहायता दी, जो गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वाले, अनाथ एवं गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चों की शिक्षा में लगे है तथा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म प्रदान की है। सिंदरी (धनबाद) के कॉलेजों के पुस्तकालयों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गयी । दिल्ली में अ.ज.जा. / अनु.जाति / अल्पसंख्यक छात्रों को टयूशन की सुविधा भी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता

नोएडा और सिंदरी (धनबाद) में सामान्य स्वास्थ्य जांच, हड्डी और जोड़ों की समस्याओं का पता लगाने, आंखों की जांच, मोतियाबिंद का पता लगाकर सफल मोतियांबिंद आपरेशन के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

नोएडा, सेक्टर-62, नबादा गांव और सिंदरी (धनबाद) में पीने के पानी के प्रावधान हेतु बोर वेल्स/ हैंड पम्पस लगाए गये ।

दिल्ली और नोएडा में किशोर छात्राओं को मुफ्त में सेनेटरी नैपकिन वितरित किए गए। दिल्ली में एक आश्रम को एक वॉशिंग मशीन प्रदान की गई, जबकि वदोदरा में एक वृद्धाश्रम और नोएडा के एक अनाथालय में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गयी ।

11 शौचालयों के निर्माण हेतु स्वच्छ भारत कोष में योगदान और सिंदरी (धनबाद) में सार्वजनिक स्थान पर भारत सरकार के स्वच्छ भारत के प्रयास में सक्रिय भागीदारी को दर्शाते हुए एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया।

2. सततता एवं अन्य गतिविधियां

कंपनी ने पीडीआईएल के निगमित कार्यालय और नोएडा स्थित कर्मचारी हाऊसिंग कम्पलैक्स परिसर में वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

कंपनी ने समाज के गरीब वर्ग को टी-शर्ट, कपड़े और जूट के थैले वितरित किये । पैरालिंपिक खेलों के प्रतिभागी एथलीटों को किट और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर भी प्रदान की गई हैं।
कंपनी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया है।

वर्ष 2018-19 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाएं

कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर परियोजनाओं के संचालन के लिए 4.1 लाख रूपये का बजट आबंटित किया । पीडीआईएल ने 11 नवंबर, 2018 को वडोदरा गुजरात से 25 किलीमीटर दूर गांव समसपुरा में एक दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। दो डॉक्टर उपस्थित थे और उन्होंने नि:शुल्क परामर्श दिया। गांव के 108 जरूरतमंद मरीजों को नि:शुल्क दवाइयां वितरित की गईं। शिविर के आयोजन में पीडीआईएल के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी थी।

वदोदरा में 09 दिसंबर, 2018 आयोजित एक समारोह में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क 10 ट्राइसाइकिलों का वितरण किया गया । ट्राइसाइकिलों के वितरण के बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था ।

पीडीआईएल ने गांव: लसुंड्रा, तालुका: सावली, जिला: वदोदरा, गुजरात में 100 गरीब बच्चों के एक छात्रावास भवन में सात (07) शौचालयों के निर्माण और एक सुरक्षा चौकी के निर्माण में सहायता की है। हॉस्टल का उद्घाटन 29 सितंबर, 2019 को एक भव्य समारोह में किया गया था

वर्ष 2019-20 के लिए निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीएसआर परियोजनाओं के संचालन हेतु कंपनी ने 14.98 लाख रूपये का बजट आवंटित किया है। कंपनी पंडित दीनदयाल राजकीय माडॅल इंटर कॉलिज, चिती, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश कों 11.3 लाख रूपये के बेंच, टेबल, उपकरण / उपस्कर प्रदान कर एक सुसज्जित भौतिक प्रयोगशाला एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करके संरचनात्मक अभिवृद्धि में सहयोग किया है।